

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 21/03/2020

क्रमांक ५८६/597/2020/38-3 :: राज्यपाल के अपर सचिव, राजभवन भोपाल द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) की रोकथाम के लिए आवश्यक निरोधक उपाय करने के संबंध में पत्र क्रमांक 445/रास./यू.एस.-03/2020 दिनांक 20 मार्च 2020 द्वारा जारी किया गया है। निर्देश के परिपालन में राज्य शासन द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक कार्य से सम्बद्ध समस्त स्टॉफ के लिए दिनांक 31/03/2020 तक अवकाश घोषित किया जाता है। समस्त शैक्षणिक स्टॉफ मुख्यालय में ही रहेंगे तथा मोबाइल/दूरभाष पर अनिवार्य रूप से संस्था प्रमुख के समर्पक में रहेंगे।

2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 38/एसीएस /जीएडी/ 2020, भोपाल दिनांक 19/3/2020 में जारी निर्देशों के परिपालन में समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा एवं महाविद्यालयों के कार्यालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से 50 प्रतिशत कर्मचारियों की ही उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। 50 प्रतिशत कर्मचारियों की कार्यालय में उपस्थिति की व्यवस्था सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र के विन्दु क्रमांक 01 एवं 02 में दिये गये निर्देशानुसार संस्था प्रमुख द्वारा सुनिश्चित की जाए।

3. कार्यालयों में कार्यरत ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनकी उम्र 58 वर्ष से अधिक है और यदि उन्हें मधुमेह (Diabetes) या अन्य कोई गम्भीर बीमारी है तो वे अपने कार्यालय प्रमुख को सूचित करेंगे एवं कार्यालय में उपस्थित न होते हुए मुख्यालय में ही रहेंगे तथा मोबाइल/दूरभाष पर अनिवार्य रूप से समर्पक में रहेंगे।

4. इसके साथ ही समस्त अधिकारी, कर्मचारी एवं प्राध्यापक स्वयं तथा अपने परिवार से कोरोना वायरस (COVID-19) की रोकथाम के लिए शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करायेंगे तथा इस बीमारी से संबंधित अधिकृत जानकारी से सभी को जागरूक करने का कार्य भी करते रहेंगे।

संलग्न : सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र।


21/3

(नीरज मण्डलोई)
प्रमुख सचिव

म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 21/03/2020

पृष्ठा. क्रमांक ५८६/597/2020/38-3

प्रतिलिपि-

1. सचिव, मान. राज्यपाल महोदय, राजभवन सचिवालय, भोपाल।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
5. ग्रामार्थ, समस्त शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


21/3

प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

गध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक / ३४/८०९/८०८०
प्रति,

वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक १९ मार्च, 2020

- १३
२५/८२
३
१५/३/२०२०
१. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रगुण सचिव/सचिव, गंत्रालय, भोपाल
 २. समस्त विभाग प्रमुख
 ३. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर
- मध्यप्रदेश शासन

विषय:- कोरोना वायरस (COVID-19) की रोकथाम के लिए आवश्यक निरोधक उपाय
बाबत।

-०-

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मोप्र० शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18.02.2020 जिसमें संपूर्ण मोप्र० राज्य के लिए नोवल कोरोना (COVID-19) अधिसूचित संकामक रोग घोषित किया गया है तथा भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय परिपत्र दिनांक 19.03.2020 में कोरोना वायरस (COVID-19) के रोकथाम हेतु जारी उपायों के प्रकाश में समस्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, विभाग प्रनुखों, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर्स को निर्देशानुसार निर्मांकित निर्देश प्रसारित किये जाना प्रस्तावित हैः-

१. मंत्रालय एवं शासन के सभी प्रमुख कार्यालय अपने तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से 50 प्रतिशत कर्मचारियों की ही कार्यालय में उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा शेष 50 प्रतिशत कर्मचारी Alternate दिवस में कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। जिन 50 प्रतिशत कर्मचारियों को कार्यालय आने के लिए निषेध किया जाएगा वे अपने शासकीय कार्य के लिए अपने मुख्यालय में रहकर निवास में ही रहेंगे तथा दूरभाष एवं संपर्क के समस्य गाड़ियों पर संपर्क किए जाने पर तत्काल कार्यशील होना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए सभी विभाग प्रमुख/विभागाध्यक्ष इस संबंध में आवश्यक रोस्टर बनाया जाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में मंत्रालय के आस-पास रहने वाले शासकीय सेवकों को प्रथम दिन के रोस्टर में शामिल किया जाए। प्रत्येक विभाग ख्याल यह सुनिश्चित करें कि इस प्रकार की व्यवस्था करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि प्राथमिकता वाले शासकीय कार्य प्रगति नहीं होने चाहिए।
२. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को रोस्टर के हिसाब से जिस दिन घर पर रहना है वे टेलीफोन या इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां के संवाद के लिए कार्यालयीन समय में उपस्थित रहेंगे ताकि उन्हें किसी भी तात्कालिकता की रिप्टिंग में युलाया जा सके।

3. इस प्रकार के निर्देश प्रत्येक विभाग द्वारा संवंधित अधीनरथ कार्यालय, निगम मण्डलों के लिए जारी किए जाएं।
4. ये निर्देश अत्यावश्यक सेवाएं (Essential Services) जैसे- स्वास्थ्य, पुलिस, पेयजल व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, साफ-सफाई से जुड़ा अमला, अग्निशमन सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं इत्यादि पर लागू नहीं होगा।
5. राज्य शासन के समस्त कार्यालयों में संपर्क एवं जमाव को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं।
6. ये आदेश दिनांक 31.03.2020 तक लागू रहेगा। उक्त तिथि के बाद तत्समय की परिस्थितियों के आधार पर पुनः परीक्षण कर आगामी निर्णय लिया जाएगा।

WU/19/03/2020

(के.के. सिंह)

अपर मुख्य सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग
मध्यप्रदेश शासन

भोपाल, दिनांक 19 मार्च, 2020

क्रमांक / ३१८८०/२०२०

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, कार्मिक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त/सचिव, जनसंपर्क विभाग, भोपाल की ओर उक्त आदेश के प्रसारण हेतु सूचनार्थ।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

WU

अपर मुख्य सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग
मध्यप्रदेश शासन